न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 29/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/103

अनवान्

1 श्रीमती बावरी पत्नी कैलाशचन्द जी (पुत्री रूपाजी) गाडरी निवासी खेरोदा हाल [illegible] तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

............प्रार्थीया

बनाम

1 श्रीमती चन्दीबाई पत्नी लच्छीया गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

2 श्री चोथमल पिता मोहनलाल जी मेनारिया निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

3 श्रीमती जानीबाई पत्नी हिरालाल जोशी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

4 श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रमेश चन्द सांगावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

2 श्री मुकेश कुमार मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2।

3 श्री रोनक कोठारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3।

4 श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–09.09.2024

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस [illegible] पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खसरा [illegible] होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम 1/6 हिस्से से, विपक्षी स. 1 के नाम 5/12 हिस्से [illegible] स. 2 के नाम 5/24 हिस्से से एवं विपक्षी स. 3 के नाम 5/24 हिस्से से अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा, विपक्षी स. 1 का 5/12 हिस्सा, विपक्षी स. 2 का 5/24,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:49 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा एवं विपक्षी स. 3 का 5/24 हिस्सा हक अधिकार होकर इसी हक हिस्सा ...
एवं विपक्षी स. 1 से 3 मौके पर काबिज हो संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे ...

2. यह कि वर्णित आराजीयात चाह न. 3080 से पिवल होती है और आराजी न ... दिशा की तरफ आराजी चाह न. 3080 होकर इस कूए से उक्त आराजी एवं उस ... लगी उत्तर दिशा में प्रार्थीया के भाईबन्धों की कृषि आराजीयात है जिनके पानी का ... उनके खेतों तक बना हुआ होकर उक्त खसरा न. 3087 में भी धोरा प्रार्थीया के ... समय से चला आ रहा है और कूए से अपने अपने खेतों तक पिलाई के लिए धोरा ... खेतों तक पानी पहुंच रहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजी का प्रार्थीया एवं विपक्षी सं 1 ... कानूनी रूप से मिटस एवं बाउन्डस से कानूनी रूप से विभाजन किया हुआ नहीं ... प्रार्थीया को ऋण लेने, लगान जमा कराने, भूमि का विकास करने, भूमि को सम्परिवर्तन ... दिक्कत आ रही है जिससे प्रार्थीया उक्त भूमि को अब शामील में नही रखना चाहती ... विपक्षी उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बिना कानूनी रूप से विभाजन कराये कृषि भूमि का ... परिवर्तन करने के प्रयोजन से पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे ... अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में ... से 3 द्वारा अलग–अलग जवाब पेश किया गया जिसका अध्ययन करने पर संक्षिप्त ... प्रकार है कि वर्णित आराजीयात के साबीक खसरा न. 3592/2 रकबा 12 बिस्वा ... पिता उदा गाडरी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी और रूपा को उक्त ... देह बक्षीश आदि तरिकों से हस्तान्तरित करने का अधिकार होने से रूपा ने अपने ... की अदायगी करने एवं परिवार के आवश्यक आवश्यकता की पुर्ति करने के लिए ... आवश्यकता होने से साबीक खसरा न. 3592/2 रकबा 12 बिस्वा का 5/12 हिस्सा ... बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2010 को विपक्षी संख्या चांदमल एवं ... को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय ... कर दिया। जिसके पड़ोस पूर्व ... रास्ता एवं लोगर जी ... मिश्रीलाल पिता पोखर जी गाडरी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:49 IST
Reason: SelfAttested

आम रास्ता, दक्षिण विक्रेता स्वयं कर आराजी उक्त पड़ोसी वीरा मुखण्ड पर विपक्षी [illegible] सन 2010 से ही मकान बनाकर निवास कर रहा है। उक्त विक्रय पत्र पंजियन कराने के बाद क्रेता शंकरलाल ने अपना 5/24 हिस्सा जानीबाई पत्नी हिरालाल जोशी को दिनांक 31.12.2010 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। जिसमें पडोस पुर्व चोथमल मनारिया की आराजी पश्चिम मिठालाल गाडरी की आराजी, उत्तर आम रास्ता, दक्षिण रूपा गाडरी की आराजी इसके बाद रूपा गाडरी ने उक्त आराजी का 5/12 हिस्सा दिनांक 14.03.2013 को विपक्षी स. 1 चनदीबाई पत्नी लक्ष्मीया गाडरी निवासी खेरादा को विक्रय कर दिया जिसके पडौस पुर्व चोथमल ब्राहम्ण एव श्रीमती जानीबाई की आराजी, पश्चिम श्री बाबरू पिता डालु गाडरी की आराजी, उत्तर पाखर पिता उदा जी व मिठालाल पिता पोखरा गाडरी की आराजी दक्षिण आराजी न 3592/2 का 2/12 हिस्सा विक्रेता के शेष रहा जो रास्ते के रूप में है। इस प्रकार उक्त भूमि के खातेदार रूपा ने अपनी कुल 12 बिस्वा भूमि थी जिसमें से 10 बिस्वा भूमि तो उपर वर्णित विक्रय पत्रों के अनुसार विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया और शेष 2 बिस्वा भूमि विक्रित सम्पति में आने जाने के लिए रास्ते के लिए छोडी गयी जिसका विक्रय पत्र में भी अंकन है ऐसे में जो भूमि मुल खातेदार रूपा द्वारा रास्ते के लिए समर्पित कर दी और अपने मालीकाना हक अधिकार समर्पित कर दिये तब से उक्त भूमि का 2 बिस्वा भाग रास्ते के रूप में काम में आ रहा है। रूपा ने उक्त भूमि हस्तान्तरित कर दी जो बाद में वापस प्रार्थीया के नाम गलत रूप से खाते करायी और प्रार्थीया ने खातेदारी अधिकारों को चुनोती देते हुए विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। प्रार्थीया का विवादित भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा नही है फिर भी उसने मात्र कागजों में नाम गलत रूप से अंकित करा मिथ्या आधारों को आधार बनाकर यह वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

यह कि कलम न. एक में वर्णित आराजी चाह च. 3080 से पिवल नही होती है बल्कि मौके पर बाडे के रूप में होकर विपक्षी संख्या 2 क्रेता का मकान [illegible] जिसमें सपरिवार निवास कर रहे हैं जहां तक धोरे का सवाल है तो आराजी न. 3080 [illegible] नहीं है और धोरे का मौके पर कोई आलामात नही है और [illegible] सुनवाई के अधिकार माननीय [illegible] न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में जिस 2/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:49 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की भूमि को लेकर माननीय न्यायालय में किरायेदार एवं निषेधाज्ञा का वाद ...

भूमि प्रार्थीया के पिता रूपा जी द्वारा 10 बिस्वा भूमि दो अलग अलग लोगो को वि...

जरिये विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया तथा 2 बिस्वा भूमि का उपयोग रास्ते ...

2010 से किया जा रहा है। अतः प्रार्थीया का वाद माननीय न्यायालय में बिना का...

अधिकार के चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन कि...

5 प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय प... बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन कि... काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनो बिन्दु आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा मूलवाद बंटवारा व स्थाई ... पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्था... अधिनियम का पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण द्वारा बिना कानूनी ... कराये प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अकृषि भूमि से कृषि भूमि में परिवर्तन करने क... पक्का निर्माण करने पर आमादा हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा ... जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में बताया कि ... भूमि के साबिक आराजी न. 3592/2 रकबा 12 बिस्वा खातेदार (प्रार्थीया क... रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 10 बिस्वा भूमि 2 अलग अलग लोगो को विक्र... सुपूर्द कर दिया तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की शेष 2 बिस्वा भूमि को रास्ते के रू... कर दिया जिसका रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं। हमने पाया क... भूमि में प्रार्थीया 1/6 हिस्से से खातेदार अंकित हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि ... हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि ... साबित हो कि खातेदार रूपा जी द्वारा 2 बिस्वा भूमि को रा... समर्पित की गई हो। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार होने से प्रथम ... प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:49 IST
Reason: SelfAttested

2. **अपूरणीय क्षति** :—प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार होने से तथा प्रथम ... प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के ... किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन** :—प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष ... किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रा... मूलवाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ ... अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रार्थनाग्रस्त ... विपक्षीगण द्वारा बिना कानूनी रूप से बटवाडा कराये प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अकृषि ... कृषि भूमि में परिवर्तन करने के प्रयोजन से पक्का निर्माण करने पर आमादा ... जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ... संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के साबिक ... 3592/2 रकबा 12 बिस्वा खातेदार रूपा पिता उदा गाडरी (प्रार्थीया के पि... रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 10 बिस्वा भूमि 2 अलग अलग लोगों को विक्रय क... सुपूर्द कर दिया तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की शेष 2 बिस्वा भूमि को रास्ते के रूप ... कर दिया जिसका रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं। हमने पाया की प्र... भूमि में प्रार्थीया 1/6 हिस्से से खातेदार अंकित हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रा... हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिस... साबित हो की खातेदार रूपा पिता उदा गाडरी द्वारा 2 बिस्वा भूमि को रास्ते ... समर्पित की गई हो। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त ... प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में कहें गये तथ्य ... वाद में साक्ष्य सबूत के आधार ... किया जायेगा इस पत्रावली में हमें निर्ण... तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बि... आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:49 IST
Reason: SelfAttested

क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अन्य बिन्दुओं का मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरादा पटवार हल्का खरादा भू–अभिलेख निरीक्षक खरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 367 की आराजी नं 3087 रकबा 0.1300 है. भूमि में विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:49 IST
Reason: SelfAttested